

117

CPD
on file
ng
27/2

FROM: ARVIND KUMAR
C/o S.C. Tripathi
Advocate, Chamber No. 41, Collectorate Compound,
Kanpur Collectorate,
Kanpur Nagar- 208001
----- Appellant.

To,

Sri Narendra Mohan,
Director & First Appellate Officer,
National Sugar Institute, Consumer Matter,
Food and Government of India, General Distribution
Public Ministry.

To,

Sri Narendra Mohan,
Director & Ist Appellate officer,
National Sugar Institute consumer matter,
Ministry of food & Public Distribution Faculty,
Government of India. ----- Respondent.

In the above noted matter.

--

Respected Sir,

I have applied information application on dated 18.1.2018 before the respondent, information (a true copy of the application is enclosed herewith, but regret to say that vide receipt of the information application enclosed fees, I have been informed by the respondent vide letter No. ___ on dated 30.01.2018 that an appeal can be filed before first Appellate party.

Aggrieved with that letter, I am filing the first appeal against the information for seeking the information.

It is also mention here that my fundamental right of information provided in the Act and Sec. 8 (1) h is not against the appellant that the judgment of Apex court is enclosed with Annex the appeal.

Dt: 27/02/2018.

(Shambha Tripathi
S.C. Tripathi
Advocate.

Sri D. S. Mishra
on file
28/2/18

1139
28/2/18



सं. 25(52)/2017-18/RTI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

National Sugar Institute

ISO 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

An ISO 9001:2015 Certified Institute

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,

Department of Food & Public Distribution

भारत सरकार

Government of India

116

फोन 2570541, 542

फैक्स 0512-2570247

कानपुर, दिनांक-30.1.2018

सेवा में,

श्री अरविंद कुमार,
पुत्र श्री बंशलाल पुत्र स्व. भूरा,
निवासी 11/4 LIG,
गंगागंज कालोनी, पनकी,
कानपुर नगर - 208 020

विषय- RTI, 2005 के संबंध में।

महोदय,

आपके RTI, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने के संबंध में संस्थान में प्राप्त पत्र दि. 18.1.2018 के संबंध में सूचित करना है कि उक्त पत्र द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(h) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप दी गई उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में इस पत्र के जारी करने के 30 दिन के अंदर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर - 208 017

भवदीय,

(जितेन्द्र सिंह)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
सहा. आचार्य शर्करा प्रौद्योगिकी

त्वरित-डाक
Speed-Post



सं. 25(52)/2017-18/RTI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

National Sugar Institute

ISO 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

An ISO 9001:2015 Certified Institute

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,

Department of Food & Public Distribution

भारत सरकार

Government of India

त्वरित-डाक
Speed-Post

123

फोन 2570541, 542
फैक्स 0512-2570247

कानपुर, दिनांक-14.03.2018

सेवा में,

श्री सुशील चंद्र त्रिपाठी,
अधिवक्ता,
चैंबर नं. 41,
कलेक्ट्रेट कंपाउंड,
कानपुर कलेक्ट्रेट,
कानपुर नगर - 208 001

जारी
संख्या --- BSI ---

क 14-3-18

PS

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दि. 27.2.2018 जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना चाही गई है, के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त दिनांकित पत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय (Judgement) की छायाप्रति को पत्र के साथ संलग्न (Enclose) करने का उल्लेख किया गया है, वह पत्र के साथ संलग्न नहीं है। कृपया वर्णित छायाप्रति को भेजने का कष्ट करें, जिससे समुचित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

नरेन्द्र मोहन

(नरेन्द्र मोहन)

निदेशक एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी